संख्या-1/2024/699/47-3099/341/2020

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ:

दिनांक 06 नवम्बर, 2024

विषय- डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, चकगंजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ की स्थापना के क्रम में क्रियाशील किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित चक गंजरिया फार्म में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की स्थापना के संबंध में शासन के पत्र संख्या-52/2015-1488/47-का-3-2015-24/8/2013, दिनॉक 28.09.2015 द्वारा कुल रू0 388.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी। उक्त के क्रम में महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के पत्रांक-5436, दिनांक 18.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराया गया।

2- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त व्यय (वित्त) समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 474.27 करोड़ पर निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(i) पी0एफ0ए0डी0/व्यय (वित्त) समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत उक्त पुनरीक्षित आगणन/लागत के सापेक्ष स्पोर्ट्स ब्लाक निर्माण की लागत रू0 10.12 करोड़ को घटाते हुए न्यूनतम धनराशि रू0 75.58 करोड़ निम्न तालिका के अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	मद	धनराशि
1	पाइलिंग वर्क	रू0 17.42 करोड़
2	ब्रिक वर्क/शटरिंग/आर0सी0सी0 सीमेंट/वाटरप्रूफिंग/ प्लास्टरिंग इत्यादि	रू0 20.59 करोड़
3	फायर डोर्स/एसेसरीज	रू0 0.5671 करोड़
4	फायर फाइटिंग वर्क्स	रू0 1.028 करोड़
5	न्यू वर्क (i) सिविल वर्क (ii) सेनेटरिंग एण्ड प्लम्बिंग (iii) इलेक्ट्रिकल वर्क	रू0 9.8667 करोड़
6	लेबर सेस	रू0 0.754 करोड़
7	सर्विस टैक्स	रू0 4.62 करोड़
8	जी0एस0टी0	रू0 11.92 करोड़
9	अन्य कार्य	रू0 18.9342 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	योग	**रू0 85.70 करोड़**
10	स्पोर्ट्स ब्लाक निर्माण की लागत	–रू0 10.12 करोड़
	स्वीकृत धनराशि	रू0 75.58 करोड

इसमें संलग्नक–1 में उल्लिखित उच्च विशिष्टियों के कार्यों की धनराशि रू0 24.72 करोड़ का विवरण भी सम्मिलित है।

(ii) महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना दिनांक 15.09.2023 के अनुसार कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(iii) निर्माणाधीन परियोजना परिसर के पूर्ण होने पर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी की कार्ययोजना के अनुसार अवस्थापनाओं का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय एवं परियोजना में निर्मित श्रेणी–3 व 4 के समस्त आवासीय भवनों की फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को आवश्यकता नहीं होगी। अत: उसमें से एक हिस्सा राज्य सम्पत्ति विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। राज्य सम्पत्ति विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाले आवासीय भवनों का निर्धारण मुख्य सचिव के स्तर पर निर्णय लेकर सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) नव निर्मित परिसर में जवाहर भवन में संचालित सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, जिससे कि नव–निर्मित परिसर में स्थित अवस्थापना (हॉस्टल, क्लासरूम, फैकल्टी इत्यादि) का भरपूर सदुपयोग हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर ऐसे अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों को भी चिन्हित किया जाएगा जहाँ या तो जिनके अपने खुद के परिसर नहीं हैं या उनके परिसर पर्याप्त नहीं है तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों की सहमति से उन प्रशिक्षण संस्थानों को भी नव निर्मित उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के परिसर में स्थानान्तरित करने पर निर्णय लिया जाएगा।

(v) इस प्रकरण में आपराधिक कृत्य एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में सतर्कता जांच को पूर्ण कराना भी आवश्यक है, जिससे क्रिमिनल व अन्य लायबिलिटीज के बारे में मंतव्य स्पष्ट हो सके व कार्यवाही हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्य पूर्ण करने की प्रक्रिया में सतर्कता जांच प्रभावित हो जाये तथा क्रिमिनल/सिविल/डिपार्टमेंटल लायबिलिटीज न निर्धारित हो पाये। इस हेतु सतर्कता विभाग निर्माण कार्य के संबंध में दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को संरक्षित कर लें, जिससे कि स्थगनादेश समाप्त होने अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी जांच सम्पन्न हो सके। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग एवं उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम स्थगनादेश समाप्त कराकर सतर्कता जांच को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

(vi) प्रकरण में आपराधिक कृत्य एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में क्रिमिनल/सिविल/डिपार्टमेंटल लायबिलिटीज निर्धारित किये जाने हेतु सतर्कता विभाग निर्माण कार्य के संबंध में दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को संरक्षित कर लें। सतर्कता विभाग द्वारा दिये गये अभिमत कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश वैकेट होने के पश्चात जॉच से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित कराने हेतु सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सक्षम स्तर पर पत्राचार करते हुए संरक्षित कराया जायेगा, के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि स्टे वैकेट होने एवं प्रकरण के जॉच से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित करने का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है।

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निर्देशित कर दें कि निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ को उपलब्ध करा दें। साथ ही सतर्कता विभाग सतर्कता अधिष्ठान को निर्देशित कर दें कि उपलब्ध समस्त दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को संरक्षित कर कर लें, जिससे कि स्थगनादेश समाप्त होने अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी जांच अविलम्ब सम्पन्न हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vii) प्रश्नगत परियोजना में केवल छोटे अधिकारियों की जवाबदेही तय की गयी है, जबकि इस मामले में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसलिए लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम प्रकरण में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करें, साथ ही परियोजना के अण्डरग्राउण्ड पार्किंग को आपस में जोड़ने के संबंध में जिस स्तर से आदेश/निर्णय लिये गये हैं, उनका भी चिन्हांकन कर उत्तरदायित्व तय किया जाय।

(viii) प्रकरण से संबंधित दोषी अधिकारियों द्वारा अपने निलम्बन आदि आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी हैं, जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये गये हैं। अतएव प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध निलम्बन आदि से संबंधित कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के पारित होने वाले अन्तिम आदेश से आच्छादित होगी।

(ix) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम से समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को शीघ्र अपास्त कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

3- उक्त प्रायोजना के पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन पर व्यय (वित्त) समिति/पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गयी शर्तों का पालन किया जायेगा।

भवदीय

(एम0 देवराज)

प्रमुख सचिव।

संख्या-699(1)/47-3099/341/2020,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वतीय, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप बाबू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।